

आय का एकत्रीकरण, समयोजन और घाटे को आगे ले जाना




अध्ययन परिणाम

इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद, आप सक्षम होंगे—


- ◆ स्वीकार्य अंतर-स्रोत और अंतर-शीर्ष समायोजन की पहचान करना;
- ◆ हानियों के अंतर-स्रोत और अंतर-शीर्ष समायोजन पर प्रतिबंधों की पहचान करना;
- ◆ विभिन्न मदों के अंतर्गत हानियों को आगे ले जाने और समायोजित करने के लिए आवश्यक शर्तों को समझना;
- ◆ अधिकतम अवधि बताना जिसके लिए विभिन्न हानियों को आगे ले जाया जा सकता है;
- ◆ हानियों के समायोजन के क्रम को समझना और व्यवस्थित करना;
- ◆ किसी करदाता की कुल आय ज्ञात करने के लिए उपरोक्त प्रावधानों को लागू करना ।

अध्याय अवलोकन

**नोट -**

धारा 115BAC के अंतर्गत डिफ्रॉल्ट कर व्यवस्था के अंतर्गत कुल आय की गणना करते समय निम्नलिखित अंग्रेषित हानियों/मूल्यहास को समायोजित करने की अनुमति नहीं है।

- स्व-अधिभोगित गृह संपत्ति से अंग्रेषित हानि
- धारा 35AD के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यवसाय की अंग्रेषित व्यावसायिक हानि
- धारा 35(1)(ii)/(iia)/(iii) या धारा 35(2AA) के अंतर्गत कटौती के कारण अंग्रेषित व्यावसायिक हानि
- धारा 32(1)(iia) के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्यहास के कारण अवशोपित न किया गया मूल्यहास।



1. आय का एकत्रीकरण

कुछ मामलों में, कुछ राशियाँ करदाता के हाथ में आय मानी जाती हैं, हालाँकि वास्तव में वे आय की प्रकृति की नहीं होतीं। ये मामले धारा 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D में समाहित हैं। अध्याय 1 में इनकी विस्तार से चर्चा की गई है। ऐसे मामलों में कर निर्धारण अधिकारी करदाता से स्पष्टीकरण मांग सकता है। यदि करदाता कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या करदाता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है, तो इन धाराओं में उल्लिखित राशियाँ करदाता की आय मानी जाएँगी। ऐसी राशियों को करदाता की आय के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

2. घाटे के समययोजन और आगे ले जाने की अवधारणा

आयकर अधिनियम, 1961 में घाटे के समययोजन और आगे ले जाने के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। सरल शब्दों में, "समायोजन" का अर्थ है उसी निर्धारण वर्ष में किसी अन्य स्रोत/आय के शीर्ष से प्राप्त लाभ के विरुद्ध घाटे का समययोजन। यदि पात्र लाभ की अपर्याप्तता के कारण उसी वर्ष घाटे का समययोजन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे घाटे को उस वर्ष के पात्र लाभ के विरुद्ध समययोजन हेतु अगले निर्धारण वर्ष में आगे ले जाया जाता है। अधिनियम में वह अधिकतम अवधि प्रदान की गई है जिसके लिए विभिन्न घाटे को समययोजन के लिए आगे ले जाया जा सकता है।

3. अंतर स्रोत समययोजन [धारा 70]

- (i) **अंतर-स्रोत हानियों का समययोजन:** इस धारा के अंतर्गत, करदाता द्वारा एक स्रोत के संबंध में उठाए गए नुकसान को उसी आय-शीर्ष के अंतर्गत किसी अन्य स्रोत से प्राप्त आय के विरुद्ध समययोजित किया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत आय की गणना उस शीर्ष के अंतर्गत आने वाले सभी स्रोतों की गतिविधियों के शुद्ध परिणाम को एक साथ समूहीकृत करके की जाएगी। सरल शब्दों में, एक आय-स्रोत से होने वाली हानि को दूसरे स्रोत से होने वाली आय के विरुद्ध समययोजित किया जा सकता है, क्योंकि दोनों स्रोत एक ही शीर्ष के अंतर्गत आते हैं।

उदाहरण 1: एक मकान की संपत्ति से होने वाली हानि को दूसरी मकान की संपत्ति से होने वाली आय के विरुद्ध समययोजित किया जा सकता है।

उदाहरण 2: एक व्यवसाय, मान लीजिए कपड़ा, से होने वाले नुकसान को उसी वर्ष किसी अन्य व्यवसाय, मान लीजिए मुद्रण, से होने वाली आय के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों आय स्रोत एक ही आय श्रेणी में आते हैं। इसलिए, एक व्यवसाय में हुए नुकसान को उसी वर्ष किसी अन्य व्यवसाय के लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।

(ii) अस्वीकार्य अंतर-स्रोत समययोजन: हालाँकि, निम्नलिखित मामलों में अंतर-स्रोत समययोजन की अनुमति नहीं है -

(a) दीर्घकालिक पूंजी हानि [धारा 70(3)]

अल्पकालिक पूंजीगत हानि को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ दोनों के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। हालाँकि, दीर्घकालिक पूंजीगत हानि को केवल दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के विरुद्ध नहीं।

(b) सट्टा हानि [धारा 73(1)]

सट्टा व्यवसाय में हुए नुकसान को केवल किसी अन्य सट्टा व्यवसाय के लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है, किसी अन्य व्यवसाय या व्यावसायिक आय के विरुद्ध नहीं।

हालाँकि, अन्य व्यवसायों से हुए नुकसान को सट्टा व्यवसाय के लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।

(c) रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से होने वाली हानि [धारा 74A(3)]

इस तरह की हानि को केवल रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से होने वाली आय के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।

(d) निर्दिष्ट व्यवसाय से हानि [धारा 73A(1)]

धारा 115BAC(1A) के तहत प्रदान की गई डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने के विकल्प का उपयोग करने वाले करदाता के मामले में, धारा 35AD में निर्दिष्ट किसी भी निर्दिष्ट व्यवसाय में होने वाली हानि को केवल किसी अन्य निर्दिष्ट व्यवसाय के विरुद्ध ही समायोजित किया जा सकता है।

हालाँकि, अन्य व्यवसाय से होने वाली हानि को निर्दिष्ट व्यवसाय से होने वाले लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।



छूट प्राप्त स्रोत से हुई हानि को कर योग्य आय स्रोत से हुई आय के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता।



4. अंतर शीर्ष समायोजन [धारा 71]

एक आय मद के अंतर्गत होने वाले नुकसान को किसी अन्य आय मद में समायोजित या समायोजित किया जा सकता है। हालाँकि, निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाना चाहिए:

- (i) **पूँजीगत लाभ के अलावा किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत हानि:** जहाँ आय के किसी शीर्ष (पूँजीगत लाभ के अलावा) के अंतर्गत गणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहाँ करदाता ऐसी हानि को पूँजीगत लाभ सहित किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत उस कर निर्धारण वर्ष के लिए कर योग्य अपनी आय के विरुद्ध समायोजित कर सकता है।
- (ii) **"व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति" शीर्षक के अंतर्गत हानि:** जहाँ "व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति" शीर्षक के अंतर्गत गणना का शुद्ध परिणाम हानि है, ऐसी हानि को "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत आय से समायोजित नहीं किया जा सकता। इसे "वेतन" के अलावा किसी अन्य शीर्षक के अंतर्गत आय से समायोजित करने की अनुमति होगी।
- (iii) **"व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति" शीर्षक के अंतर्गत हानि:** जहाँ "व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति" शीर्षक के अंतर्गत गणना का शुद्ध परिणाम हानि है, ऐसी हानि को "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत आय से समायोजित नहीं किया जा सकता। इसे "वेतन" के अलावा किसी अन्य शीर्षक के अंतर्गत आय से समायोजित करने की अनुमति होगी।
- (iv) **"गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत हानि:** "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत हानि को अन्य शीर्षक के अंतर्गत आय के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति नहीं होगी, यदि करदाता धारा 115BAC के अंतर्गत रियायती दर पर कर का भुगतान करता है।

हालाँकि, यदि करदाता धारा 115BAC(1A) के अंतर्गत प्रदत्त डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है और "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत हानि होती है और करदाता की आय किसी अन्य आय शीर्षक के अंतर्गत कर-निर्धारण योग्य है, तो गृह संपत्ति से होने वाली अधिकतम हानि, जिसे किसी अन्य शीर्षक से आय के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है, ₹2 लाख है। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामले में, ₹2 लाख से अधिक की हानि की राशि को अन्य शीर्षक के अंतर्गत आय के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति नहीं होगी।

- (v) **सट्टेबाज़ी से होने वाली हानि तथा रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से होने वाली हानि** को किसी अन्य मद के अंतर्गत आय के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता।
- (vi) **धारा 35AD के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यवसाय से होने वाली हानियाँ:** यदि कोई करदाता धारा 115BAC(1A) के अंतर्गत प्रदत्त डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है, तो धारा 35AD में निर्दिष्ट व्यवसाय से होने वाली हानि को केवल किसी अन्य निर्दिष्ट व्यवसाय से होने वाली आय से ही समायोजित किया जा सकता है। ऐसी हानि को किसी अन्य मद के अंतर्गत होने वाली आय से समायोजित नहीं किया जा सकता।



यदि किसी स्रोत से प्राप्त आय कर से मुक्त है, तो उस मुक्त स्रोत से होने वाली हानि को किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कर योग्य आय या किसी अन्य शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता।

5. घर की संपत्ति से नुकसान का अग्रिम भुगतान और समायोजन [धारा 71B]

(i) घाटे का समययोजन और कैरी फॉरवर्ड एवं समययोजन

(a) यदि करदाता धारा 115BAC(1A) के तहत प्रदत्त डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है: किसी भी कर निर्धारण वर्ष में, यदि "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत कोई हानि होती है, तो ऐसी हानि को पहले उसी वर्ष के दौरान किसी अन्य शीर्षक से प्राप्त ₹2,00,000 की सीमा तक की आय के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। अनवशोषित हानि को अगले कर निर्धारण वर्ष में "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत आय के विरुद्ध समायोजित करने के लिए आगे ले जाया जाएगा।

(b) यदि करदाता धारा 115BAC के अंतर्गत रियायती दर पर कर का भुगतान करता है: "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत होने वाली हानि को किसी अन्य शीर्षक के अंतर्गत होने वाली आय से समायोजित करने की अनुमति नहीं होगी। अनवशोषित हानि को अगले कर निर्धारण वर्ष में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

(ii) हानि को आगे ले जाने एवं समायोजित करने की अधिकतम अवधि: "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत हानि को उस निर्धारण वर्ष के तुरंत बाद के 8 निर्धारण वर्षों तक आगे ले जाने की अनुमति है, जिसमें हानि की पहली बार गणना की गई थी।



एक बार किसी विशेष हानि को आगे ले जाने पर, उसे आगामी मूल्यांकन वर्षों में उसी मद से होने वाली आय के विरुद्ध ही समायोजित किया जा सकता है।

चित्रण 1

श्री A, जिनकी आयु 35 वर्ष हैं, निर्धारण वर्ष 2026-27 से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं:

| विवरण | ₹ |
|--------------------------------|--------------|
| वेतन से आय (गणना) | 4,00,000 |
| किराए पर दी गई संपत्ति से हानि | (-) 2,20,000 |
| व्यावसायिक हानि | (-) 1,00,000 |
| बैंक ब्याज (एफडी) प्राप्त | 80,000 |

यह मानते हुए कि निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए श्री A की कुल आय की गणना करें

- (i) उसने धारा 115BAC(1A) के तहत प्रदत्त डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है।
- (ii) वह डिफॉल्ट कर व्यवस्था के तहत कर का भुगतान करता है।

समाधान

- (i) अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए श्री A की कुल आय की गणना

| विवरण | राशि (₹) | राशि (₹) |
|--|--------------|----------|
| वेतन से आय | 4,00,000 | |
| कम: गृह संपत्ति से ₹ 2,20,000 की हानि, जो धारा 71(3A) के अनुसार ₹ 2 लाख तक सीमित होगी। | (-) 2,00,000 | 2,00,000 |
| गृह संपत्ति से 20,000 रुपये की शेष हानि को अगले कर निर्धारण वर्ष में आगे ले जाया जाएगा | | |
| अन्य स्रोतों से आय (बैंक में सावधि जमा पर ब्याज) | 80,000 | |
| कम: ₹ 1,00,000 की व्यावसायिक हानि को ₹ 80,000 तक समायोजित करें | (-) 80,000 | - |
| 20,000 रुपये की व्यावसायिक हानि को अगले कर निर्धारण वर्ष की व्यावसायिक आय के विरुद्ध समायोजित करने के लिए आगे ले जाया जाएगा। | | |
| सकल कुल आय [नीचे नोट देखें] | | 2,00,000 |
| कम: अध्याय VI-A के अंतर्गत कटौती | | शून्य |
| कुल आय | | 2,00,000 |

नोट्स:

- (i) सकल कुल आय में गृह संपत्ति से ₹2,00,000 की हानि को समायोजित करने के बाद ₹2,00,000 की वेतन आय शामिल है। गृह संपत्ति से ₹20,000 की शेष हानि को उस वर्ष की गृह संपत्ति से आय के विरुद्ध समायोजित करने के लिए अगले कर निर्धारण वर्ष में ले जाया जाएगा।

- (ii) ₹ 1,00,000 की व्यावसायिक हानि को ₹ 80,000 के बैंक ब्याज के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा तथा ₹ 20,000 की शेष व्यावसायिक हानि को आगे ले जाया जाएगा, क्योंकि इसे वेतन आय के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता।

(ii) डिफॉल्ट कर व्यवस्था के तहत निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए श्री A की कुल आय की गणना

| विवरण | राशि (₹) | राशि (₹) |
|---|------------|-----------------|
| वेतन से आय | | 4,00,000 |
| अन्य स्रोतों से आय (बैंक में सावधि जमा पर ब्याज) | 80,000 | |
| कम: ₹ 1,00,000 की व्यावसायिक हानि को ₹ 80,000 तक समायोजित किया गया | (-) 80,000 | - |
| 20,000 रुपये की व्यावसायिक हानि को अगले कर निर्धारण वर्ष की व्यावसायिक आय के विरुद्ध समायोजित करने के लिए आगे ले जाया जाएगा। | | |
| सकल कुल आय/ कुल आय | | 4,00,000 |

नोट्स:

- (i) डिफॉल्ट कर व्यवस्था के तहत, गृह संपत्ति से ₹ 2,20,000 का नुकसान किसी अन्य मद में आय से समायोजित नहीं किया जा सकता है और इसे अगले मूल्यांकन वर्ष में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
- (ii) ₹ 1,00,000 की व्यावसायिक हानि को ₹ 80,000 के बैंक ब्याज के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा तथा ₹ 20,000 की शेष व्यावसायिक हानि को आगे ले जाया जाएगा, क्योंकि इसे वेतन आय के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता।

6. व्यावसायिक घाटे को आगे ले जाना और समययोजन करना [धारा 72]

अधिनियम के अंतर्गत, करदाता को व्यवसाय और पेशे से हुई हानि को आगे ले जाने का अधिकार है, बशर्ते कि उसी वर्ष किसी अन्य मद में आय की अनुपस्थिति या अपर्याप्तता के कारण ऐसी हानि का समायोजन न किया जा सके। इस प्रकार आगे ले जाए गए नुकसान को आगामी पिछले वर्षों के लाभ से समायोजित किया जा सकता है।

धारा 72 किसी व्यवसाय या पेशे से होने वाली हानि को आगे ले जाने और समायोजित करने को कवर करती है।

शर्तें

तथापि, इस धारा के अंतर्गत व्यावसायिक घाटे को आगे ले जाने का करदाता का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- (i) हानि व्यवसाय, पेशे या व्यवसाय में हुई होनी चाहिए।
- (ii) हानि सट्टेबाजी के व्यवसाय में हुई हानि की प्रकृति की नहीं होनी चाहिए।
- (iii) एक व्यवसाय से होने वाली हानि को किसी अन्य व्यवसाय से होने वाली आय के विरुद्ध आगे ले जाया जा सकता है और समायोजित किया जा सकता है: हानि को आगे ले जाया जा सकता है तथा व्यवसाय या पेशे से प्राप्त आय के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है, हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि उसी व्यवसाय या पेशे के लाभ और प्राप्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाए जिसमें हानि हुई थी।

हालाँकि, किसी भी परिस्थिति में आगे ले जाए गए नुकसान को "व्यापार या पेशे के लाभ और प्राप्ति" के अलावा किसी अन्य शीर्ष से आय के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है।

- (iv) जिस व्यक्ति को अकेले हानि हुई है, वह हानि को आगे ले जाने और समायोजित करने का हकदार है: हानि को केवल उस करदाता के लाभ के विरुद्ध आगे ले जाया और समायोजित किया जा सकता है जिसने हानि उठाई है। अर्थात्, केवल वही व्यक्ति जिसे हानि हुई है, उसे आगे ले जाने और समायोजित करने का अधिकार है। परिणामस्वरूप, किसी व्यवसाय का उत्तराधिकारी उत्तराधिकार द्वारा उत्तराधिकार के मामले को छोड़कर, अपने पूर्ववर्ती के घाटे को आगे नहीं ले जा सकता और समायोजित नहीं कर सकता।
- (v) हानि को आगे ले जाने एवं समायोजित करने की अधिकतम अवधि: किसी व्यावसायिक हानि को उस कर निर्धारण वर्ष के तुरंत बाद अधिकतम 8 कर निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए आगे ले जाया जा सकता है, जिसमें हानि हुई थी।

चित्रण 2

श्री B, एक निवासी व्यक्ति, पिछले वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं:

| विवरण | ₹ |
|---|----------|
| वेतन से आय (गणना की गई) | 45,000 |
| गृह संपत्ति से आय | (24,000) |
| गैर-सट्टा व्यवसाय से आय | (22,000) |
| सट्टा व्यवसाय से आय | (4,000) |
| अल्पकालिक पूंजीगत हानि | (25,000) |
| धारा 112 के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर योग्य | 19,000 |

यह मानते हुए कि वह धारा 115BAC के तहत कर का भुगतान करता है, निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए कर योग्य कुल आय कितनी है?

समाधान

निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए श्री B की कुल आय

| विवरण | राशि (₹) | राशि (₹) |
|--|----------|---------------|
| वेतन से आय | | 45,000 |
| गृह संपत्ति से आय | | |
| गृह संपत्ति से होने वाले नुकसान को न तो समायोजित किया जा सकता है और न ही आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि श्री बी धारा 115BAC के तहत डिफॉल्ट कर व्यवस्था के तहत कर का भुगतान कर रहे हैं। | शून्य | |
| व्यापार और पेशे से लाभ और प्राप्ति | | |
| व्यावसायिक हानि को आगे ले जाना [नोट (i)] | (22,000) | |
| सट्टा हानि को आगे ले जाया जाएगा [नोट (ii)] | (4,000) | |
| पूंजीगत लाभ | | |
| धारा 112 के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर योग्य है | 19,000 | |
| ₹ 25,000 की अल्पावधि पूंजीगत हानि को ₹ 19,000 की सीमा तक दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा [नोट (iii)] | (19,000) | |
| | शून्य | |
| शेष ₹ 6,000 की अल्पावधि पूंजी हानि को आगे ले जाया जाएगा [नोट (iii)] | | |
| करदायी आय | | 45,000 |

नोट्स:

- (i) व्यावसायिक घाटे को वेतन आय से समायोजित नहीं किया जा सकता। इसलिए, गैर-सट्टा व्यवसाय से हुई ₹22,000 की हानि को वेतन आय से समायोजित नहीं किया जा सकता। इसलिए, ऐसी हानि को व्यावसायिक लाभ, यदि कोई हो, से समायोजित करने के लिए अगले वर्ष में ले जाना होगा।
- (ii) सट्टा कारोबार से हुई ₹4,000 की हानि को केवल सट्टा कारोबार से हुई आय से ही समायोजित किया जा सकता है। इसलिए, ऐसी हानि को आगे ले जाना होगा।
- (iii) अल्पकालिक पूंजीगत हानि को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ दोनों के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। इसलिए, ₹25,000 की अल्पकालिक पूंजीगत हानि को ₹19,000 तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। शेष ₹6,000 की अल्पकालिक पूंजीगत हानि को किसी अन्य आय के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है और इसे पूंजीगत लाभ, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजित करने के लिए अगले वर्ष में ले जाना होगा।

7. सट्टा कारोबार में घाटा [धारा 73]

धारा 43(5) में परिभाषित 'सट्टा लेनदेन' का अर्थ और सट्टा व्यवसाय से आय के उपचार पर पहले ही "व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अंतर्गत चर्चा की जा चुकी है।

- (i) **सट्टा व्यवसाय से हानि का समययोजन और आगे ले जाना तथा समययोजन:** चूंकि सट्टा को करदाता द्वारा किए जाने वाले किसी अन्य व्यवसाय से भिन्न और पृथक व्यवसाय माना जाता है, इसलिए सट्टा व्यवसाय में हुई हानि को न तो उसी वर्ष किसी अन्य गैर-सट्टा आय के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है और न ही आगामी वर्षों में अन्य आय के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।

इसलिए, यदि किसी करदाता को सट्टा व्यवसाय में हुए नुकसान को उसी वर्ष किसी अन्य सट्टा लाभ के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है, तो उसे बाद के वर्षों में आगे बढ़ाया जा सकता है और केवल करदाता द्वारा किए गए किसी भी सट्टा व्यवसाय से होने वाली आय के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। हालाँकि, डेरिवेटिव्स में व्यापार की गतिविधि से होने वाले नुकसान को सट्टा नुकसान नहीं माना जाएगा।

- (ii) **हानि को आगे ले जाने एवं समायोजित करने की अधिकतम अवधि:** सट्टा कारोबार में हानि को उस प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से अधिकतम 4 वर्ष की अवधि तक ही आगे बढ़ाया जा सकता है जिसके संबंध में हानि की गणना की गई थी।

- (iii) **जब किसी कंपनी का कारोबार सट्टा कारोबार करने वाला समझा जाएगा:** इस धारा के स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि जहां किसी कंपनी के कारोबार का कोई भाग अन्य कंपनियों के शेयरों के क्रय और विक्रय में निहित है, वहां ऐसी कंपनी उस सीमा तक सट्टा कारोबार करने वाली समझी जाएगी, जिस सीमा तक कारोबार में ऐसे शेयरों का क्रय और विक्रय शामिल है।

हालाँकि, यह मान्य प्रावधान निम्नलिखित कंपनियों पर लागू नहीं होता है -

- (1) एक कंपनी जिसकी सकल कुल आय में मुख्य रूप से "प्रतिभूतियों पर व्याज", "गृह संपत्ति से आय", "पूँजीगत लाभ" और "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षकों के अंतर्गत प्रभार्य आय शामिल है;
- (2) (कोई कंपनी, जिसका मुख्य व्यवसाय है -
 - (i) शेयरों में व्यापार का व्यवसाय; या

- (ii) बैंकिंग व्यवसाय; या
- (iii) ऋण और अग्रिम प्रदान करना।

इस प्रकार, इन कंपनियों को इस स्पष्टीकरण के प्रभाव से छूट प्राप्त होगी। तदनुसार, यदि ये कंपनियां अन्य कंपनियों के शेयरों की खरीद-बिक्री का व्यवसाय करती हैं, तो उन्हें सट्टा व्यवसाय नहीं माना जाएगा।



8. निर्दिष्ट व्यवसायों के घाटे को आगे ले जाना और समायोजन करना [धारा 73A]

- (i) **निर्दिष्ट व्यवसाय के घाटे का समययोजन और आगे ले जाना और समययोजन:** धारा 115BAC(1A) के अंतर्गत प्रदत्त डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने और निर्दिष्ट व्यवसाय चलाने का विकल्प चुनने वाला कोई भी करदाता, निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन, ऐसे व्यवसाय से संबंधित पूंजीगत व्यय (भूमि, सद्भावना और वित्तीय साधनों को छोड़कर) के संबंध में धारा 35AD के अंतर्गत कटौती का दावा कर सकता है। हालाँकि, धारा 35AD में निर्दिष्ट निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में गणना की गई किसी भी हानि का समायोजन केवल किसी अन्य निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ, यदि कोई हो, के विरुद्ध ही किया जा सकता है। यदि कोई अनवशोषित हानि है, तो उसे आगामी निर्धारण वर्ष और इसी प्रकार किसी निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ के विरुद्ध समायोजन हेतु आगे ले जाया जाएगा।
- (ii) **हानि को अनिश्चित काल के लिए समायोजित किया जा सकता है:** आगे ले जाने और समायोजित करने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है, इसलिए, ऐसी हानि को निर्दिष्ट व्यवसाय से आय के विरुद्ध समायोजित करने के लिए अनिश्चित काल के लिए आगे ले जाया जा सकता है।



वैकल्पिक कर व्यवस्था के अंतर्गत, किसी निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में धारा 35AD के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाले करदाता के नुकसान को धारा 73A के अंतर्गत किसी अन्य निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है, भले ही वह व्यवसाय धारा 35AD के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हो या नहीं। इसलिए, कोई करदाता किसी ऐसे अस्पताल या होटल के घाटे को, जो 1 अप्रैल, 2010 के बाद संचालित होना शुरू हुआ हो और जो धारा 35AD के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हो, अस्पताल (रोगियों के लिए कम से कम 100 बिस्तरों वाला) या होटल (दो-सितारा या उससे ऊपर की श्रेणी का) चलाने के मौजूदा व्यवसाय के लाभ के विरुद्ध समायोजित कर सकता है, भले ही वह व्यवसाय धारा 35AD के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र न हो।

9. 'पूँजीगत लाभ' शीर्षक के अंतर्गत हानियाँ [धारा 74]

हानियों को आगे ले जाना और समायोजित करना: धारा 74 में यह प्रावधान है कि जहां किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए, 'पूँजीगत लाभ' शीर्षक के अंतर्गत शुद्ध परिणाम अल्पकालिक पूँजीगत हानि या दीर्घकालिक पूँजीगत हानि है, तो हानि को निम्नलिखित निर्धारण वर्ष में आगे ले जाया जाएगा और निम्नलिखित तरीके से समायोजित किया जाएगा:

- (i) **अल्पकालिक पूँजीगत हानि:** जहां इस प्रकार आगे ले जाई गई हानि अल्पकालिक पूँजीगत हानि है, तो उसे उस वर्ष में उत्पन्न होने वाले किसी भी पूँजीगत लाभ, अल्पकालिक या दीर्घकालिक, के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।
- (ii) **दीर्घकालिक पूँजीगत हानि:** जहां इस प्रकार आगे ले जाई गई हानि दीर्घकालिक पूँजीगत हानि है, उसे केवल उस वर्ष में उत्पन्न दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।
- (iii) **पूँजीगत लाभ शीर्ष के अंतर्गत हानि:** पूँजीगत लाभ शीर्ष के अंतर्गत शुद्ध हानि को किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत आय के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता।
- (iv) **हानि को आगे ले जाने और समायोजित करने की अधिकतम अवधि:** किसी भी अनवशोषित हानि को अगले कर निर्धारण वर्ष में आगे ले जाया जाएगा, जो उस कर निर्धारण वर्ष के तुरंत बाद अधिकतम 8 कर निर्धारण वर्षों तक होगा जिसके लिए हानि की पहली बार गणना की गई थी।



- इक्विटी शेयरों या इक्विटी ओरिएंटेड फंड की इकाइयों या बिजनेस ट्रस्ट की इकाई की बिक्री पर उत्पन्न 1,25,000 रुपये से अधिक का दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ, जिस पर STT का भुगतान किया जाता है

- इक्विटी शेयरों के संबंध में, अधिग्रहण और बिक्री दोनों के समय और

- इक्विटी उन्मुख निधि की इकाइयों या व्यावसायिक ट्रस्ट की इकाई के संबंध में, बिक्री के समय

धारा 112A के अंतर्गत 12.5% की दर से कर योग्य है। इसलिए, ऐसे शेयरों/यूनिटों की बिक्री पर होने वाली दीर्घकालिक पूँजीगत हानि को धारा 70(3) और धारा 74 के तहत दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ के विरुद्ध समायोजित और समायोजित किया जा सकता है।

चित्रण 3

पिछले वर्ष 2025-26 के दौरान, श्री C की आय और आगे लाई गई हानियाँ निम्नलिखित हैं:

| विवरण | ₹ |
|---|----------|
| शेयरों की बिक्री पर अल्पकालिक पूँजीगत लाभ | 1,50,000 |

| | |
|---|----------|
| कर निर्धारण वर्ष 2024-25 की दीर्घकालिक पूंजीगत हानि | (96,000) |
| कर निर्धारण वर्ष 2025-26 की अल्पकालिक पूंजीगत हानि | (37,000) |
| धारा 112 के अंतर्गत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ | 75,000 |

श्री C के हाथों में कर योग्य पूंजीगत लाभ क्या है?

समाधान

निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए श्री सी के कर योग्य पूंजीगत लाभ

| विवरण | ₹ | ₹ |
|---|----------|----------|
| शेयरों की बिक्री पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ | 1,50,000 | |
| कम: निर्धारण वर्ष 2025-26 का अग्रिम अल्पकालिक पूंजीगत घाटा | (37,000) | 1,13,000 |
| दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ | 75,000 | |
| कम: कर निर्धारण वर्ष 2024-25 की अग्रिम दीर्घकालिक पूंजी हानि ₹ 96,000 को ₹ 75,000 तक समायोजित किया गया [नीचे दिए गए नोट देखें] | (75,000) | शून्य |
| कर योग्य अल्पकालिक पूंजीगत लाभ | | 1,13,000 |

नोट: दीर्घकालिक पूंजीगत हानि को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, निर्धारण वर्ष 2024-25 की असमायोजित दीर्घकालिक पूंजीगत हानि ₹ 21,000 (अर्थात ₹ 96,000 - ₹ 75,000) को उस वर्ष के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के विरुद्ध समायोजित करने के लिए अगले वर्ष में ले जाया जा सकता है।



10. रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से होने वाले नुकसान [धारा 74A(3)]

- (i) हानि का समययोजन और आगे ले जाना तथा समययोजन: धारा 74A(3) के प्रावधानों के अनुसार, रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से करदाता द्वारा उठाए गए नुकसान को रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि के अलावा किसी अन्य स्रोत से आय के विरुद्ध समययोजन नहीं किया जा सकता है।
- (ii) हानि को आगे ले जाने और समायोजित करने की अधिकतम अवधि: ऐसी हानि को आगामी वर्षों में

रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से होने वाली आय के विरुद्ध समायोजित करने के लिए अधिकतम 4 निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए आगे ले जाया जा सकता है।

(iii) कुछ शब्दों के अर्थ:

| शर्तें | अर्थ |
|---|---|
| घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि में करदाता द्वारा उठाए गए नुकसान की राशि | <p>(i) यदि करदाता के पास दांव के पैसे के रूप में कोई आय नहीं है - करदाता द्वारा पूर्णतः एवं विशेष रूप से रेस के घोड़ों के रखरखाव के उद्देश्य से किए गए राजस्व व्यय की राशि।</p> <p>(ii) यदि करदाता के पास दांव के पैसे के रूप में आय है - वह राशि जिसके द्वारा दांव के पैसे के रूप में ऐसी आय करदाता द्वारा पूरी तरह से और विशेष रूप से रेस के घोड़ों को बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए राजस्व व्यय की राशि से कम हो जाती है। यानी, हानि = दांव का पैसा - रेस के घोड़ों को बनाए रखने के उद्देश्य के लिए राजस्व व्यय।</p> |
| घुड़दौड़ | एक घुड़दौड़ जिस पर कानूनी रूप से दांव लगाया जा सकता है। |
| हिस्सेदारी के पैसे से आय | किसी रेस के घोड़े या घोड़ों पर उसके मालिक द्वारा प्राप्त की गई पुरस्कार राशि की सकल राशि, जो घोड़े या घोड़ों या उनमें से किसी एक या अधिक घोड़ों के घुड़दौड़ में जीतने या दूसरे स्थान पर या किसी निचले स्थान पर आने के कारण प्राप्त होती है। |

चित्रण 4

श्री D की पिछले वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित आय है:

| विवरण | ₹ |
|---|--------|
| रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से होने वाली आय | 75,000 |
| कपड़ा व्यवसाय से होने वाली आय | 85,000 |
| कपड़ा व्यवसाय से होने वाली हानि (निर्धारण वर्ष 2025-26 से संबंधित) | 50,000 |
| रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से होने वाली हानि (निर्धारण वर्ष 2023-24 से संबंधित) | 96,000 |

निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए श्री D के पास कुल आय कितनी है?

समाधान

निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए श्री डी की कुल आय

| विवरण | ₹ | ₹ |
|--|----------|---------------|
| रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से आय | 75,000 | |
| <i>कम:</i> रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से ₹ 96,000 की अग्रिम हानि, ₹ 75,000 की सीमा तक समायोजित। | (75,000) | |
| | शून्य | |
| रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से ₹ 21,000 (₹ 96,000 - ₹ 75,000) की शेष हानि को निर्धारण वर्ष 2027-28 तक आगे ले जाया जाएगा। | | |
| कपड़ा व्यवसाय से आय | 85,000 | |
| <i>कम:</i> कपड़ा व्यवसाय से आगे लाया गया व्यावसायिक घाटा | (50,000) | 35,000 |
| कुल आय | | 35,000 |

नोट: रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से होने वाली हानि को किसी अन्य आय स्रोत/शीर्ष के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता।

11. हानियों के समायोजन का आदेश

धारा 72(2) के प्रावधानों के अनुसार, अग्रेषित व्यावसायिक हानि को अनवशोषित मूल्यहास से पहले समायोजित किया जाना है। इसलिए, समायोजन का क्रम इस प्रकार होगा: -

- चालू वर्ष का मूल्यहास [धारा 32(1)];
- वैज्ञानिक अनुसंधान पर चालू वर्ष का पूंजीगत व्यय और परिवार नियोजन पर चालू वर्ष का व्यय, अनुमत सीमा तक।
- व्यवसाय/पेशे से आगे लाई गई हानि [धारा 72(1)];
- अनवशोषित मूल्यहास [धारा 32(2)];
- वैज्ञानिक अनुसंधान पर अनवशोषित पूंजीगत व्यय [धारा 35(4)];
- परिवार नियोजन पर अनवशोषित व्यय [धारा 36(1)(ix)]।

चित्रण 5

श्री E ने निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए अपना विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

| विवरण | ₹ |
|---|----------|
| वेतन से आय (गणना की गई) | 1,50,000 |
| सट्टा व्यवसाय से आय | 60,000 |
| गैर-सट्टा व्यवसाय से हानि | (40,000) |
| अल्पकालिक पूंजीगत लाभ | 80,000 |
| वित्त वर्ष 2024-25 की दीर्घकालिक पूंजीगत हानि | (30,000) |
| लॉटरी से जीत (कुल) | 20,000 |

निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए श्री E की कुल आय की गणना करें।

समाधान

निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए श्री E की कुल आय की गणना

| विवरण | ₹ | ₹ |
|-------------------------------|----------|-----------------|
| वेतन से आय | | 1,50,000 |
| सट्टा व्यवसाय से आय | 60,000 | |
| कम: गैर-सट्टा व्यवसाय से हानि | (40,000) | 20,000 |
| अल्पकालिक पूंजीगत लाभ | | 80,000 |
| लॉटरी से जीत | | 20,000 |
| कर योग्य आय | | 2,70,000 |

नोट: दीर्घकालिक पूंजीगत हानि को केवल दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के विरुद्ध ही समायोजित किया जा सकता है। इसलिए, ₹ 30,000 की दीर्घकालिक पूंजीगत हानि को अगले कर निर्धारण वर्ष में ले जाना होगा।

12. हानि की वापसी प्रस्तुत करना [धारा 80]

धारा 80 के अनुसार,

- धारा 72(1) के अंतर्गत व्यावसायिक हानि,
- धारा 73(2) के अंतर्गत सट्टा व्यवसाय हानि,
- धारा 73A(2) के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यवसाय से हानि, यदि करदाता धारा 115बीएसी(1ए) के अंतर्गत प्रदत्त डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है,
- धारा 74(1) के अंतर्गत "पूँजीगत लाभ" शीर्षक के अंतर्गत हानि, और
- धारा 74A(3) के अंतर्गत रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से हानि,

धारा 139(3) के तहत दाखिल किए गए रिटर्न के अनुसरण में निर्धारित नहीं की गई हानि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और न ही समायोजित किया जा सकता है। इसलिए, ऐसे नुकसानों को आगे ले जाने और समायोजित करने के लिए करदाता को धारा 139(3) के तहत हानि का रिटर्न दाखिल करना होगा। ऐसा हानि रिटर्न धारा 139(1) के तहत निर्धारित समय के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए।



यह शर्त धारा 71B के तहत आगे ले जाई गई गृह संपत्ति से हानि और धारा 32(2) के तहत आगे ले जाई गई अनवशोषित मूल्यहास पर लागू नहीं होती है।



आइए हम पुनः दोहराएँ

हानियों का अंतर-स्रोत और अंतर-शीर्ष समययोजन [धारा 70 और 71]

| धारा | प्रावधान | अपवाद |
|------|--|---|
| 70 | <p>एक ही आय शीर्ष के अंतर्गत हानियों का अंतर-स्रोत समययोजन</p> <p>किसी एक स्रोत से हुई हानि को उसी आय मद के अंतर्गत किसी अन्य स्रोत से हुई आय से समायोजित किया जाएगा। उदाहरण के लिए</p> <p>-कपडा व्यवसाय से होने वाले नुकसान को मुद्रण व्यवसाय से होने वाले लाभ से समायोजित किया जा सकता है।</p> <p>- एक मकान से होने वाले नुकसान को दूसरी मकान से होने वाली आय से समायोजित किया जा सकता है।</p> <p>-अल्पकालिक पूंजीगत हानि (STCL) को STCL और LTCG दोनों से समायोजित किया जा सकता है।</p> | (i) सट्टा व्यवसाय से होने वाली हानि को केवल किसी अन्य सट्टा व्यवसाय से होने वाले लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। |
| | | (ii) दीर्घकालिक पूंजीगत हानि (LTCL) को केवल दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। |
| | | (iii) रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से होने वाली हानि को केवल रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से होने वाली आय के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। |
| | | (iv) धारा 35AD के तहत निर्दिष्ट व्यवसाय करने वाला और धारा 115BAC(1A) के तहत प्रदत्त डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुनने वाला करदाता धारा 35AD के तहत कटौती का पात्र होगा। ऐसे मामले में, धारा 35AD के तहत निर्दिष्ट व्यवसाय से होने वाली हानि को केवल किसी अन्य निर्दिष्ट व्यवसाय से होने वाले लाभ के विरुद्ध ही समायोजित किया जा सकता है। |
| 71 | <p>अंतर शीर्ष समायोजन</p> <p>एक आय शीर्ष के अंतर्गत हानि को किसी अन्य आय शीर्ष के अंतर्गत कर योग्य आय से समायोजित किया जा सकता है।</p> | (i) “व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति” शीर्षक के अंतर्गत हानि को “वेतन” शीर्षक के अंतर्गत आय से समायोजित नहीं किया जा सकता है। |
| | | (ii) “पूंजीगत लाभ” शीर्षक के अंतर्गत हानि को किसी अन्य शीर्षक के अंतर्गत आय के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता। |

| | | | |
|--|---|-------|---|
| | <p>उदाहरण के लिए, व्यावसायिक हानि को गृह संपत्ति से होने वाली आय के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।</p> | (iii) | <p>सट्टेबाज़ी से होने वाली हानि तथा रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से होने वाली हानि को किसी अन्य मद के अंतर्गत आय के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता।</p> |
| | | (iv) | <p>यदि कोई करदाता धारा 115BAC(1A) के अंतर्गत प्रदत्त डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है तथा धारा 35AD के अंतर्गत कटौती का दावा करता है, तो धारा 35AD के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यवसाय से होने वाली हानि को किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत आय के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है।</p> |
| | | (v) | <p>"गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत हानि को अन्य शीर्षक के अंतर्गत आय के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति नहीं होगी तथा यदि करदाता धारा 115BAC के अंतर्गत रियायती दर पर कर का भुगतान करता है तो उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।</p> <p>हालाँकि, यदि करदाता धारा 115BAC(1A) के अंतर्गत प्रदत्त डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है, तो गृह संपत्ति से होने वाले नुकसान को किसी अन्य मद के अंतर्गत आय के विरुद्ध केवल ₹2 लाख तक की सीमा तक समायोजित किया जा सकता है। शेष नुकसान को आगामी वर्ष(वर्षों) की गृह संपत्ति से होने वाली आय के विरुद्ध समायोजित करने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।</p> |
| <p>वे हानियाँ जिन्हें समायोजित या आगे नहीं बढ़ाया जा सकता</p> | | | |
| <p>जुआ, सट्टा, ताश के खेल आदि से हानि। ब्लूट प्राप्त स्रोत से हानि [उदाहरण के लिए, साझेदारी फर्म की हानि का हिस्सा किसी अन्य व्यावसायिक आय के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता]</p> | | | |

| घाटे को आगे ले जाने की अधिकतम अवधि और आगे लाए गए घाटे के समायोजन का तरीका | | | |
|---|---|--|--|
| धारा | आगे ले जाए जाने वाले नुकसान की प्रकृति | वह आय जिसके विरुद्ध अग्रिम हानि का समायोजन किया जा सकता है | घाटे को आगे ले जाने के लिए अधिकतम अवधि [प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से] |
| 32(2) | अनवशोषित मूल्यहास | वेतन के अलावा किसी अन्य मद से आय | अनिश्चित अवधि |
| 71B | गृह संपत्ति से अनवशोषित हानि | गृह संपत्ति से आय | 8 निर्धारण वर्ष |
| 72 | अनवशोषित व्यावसायिक हानि | व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति | 8 निर्धारण वर्ष |
| 73 | सट्टेबाज़ी व्यवसाय से हानि | किसी भी सट्टेबाज़ी व्यवसाय से आय | 4 निर्धारण वर्ष |
| 73A | धारा 35AD के तहत निर्दिष्ट व्यवसाय से हानि, यदि कोई करदाता धारा 115BAC(1A) के तहत प्रदान की गई डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है। | किसी निर्दिष्ट व्यवसाय से प्राप्त लाभ, चाहे वह व्यवसाय धारा 35AD के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हो या नहीं। | अनिश्चित अवधि |
| 74 | दीर्घकालिक पूंजी हानि | दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ | 8 निर्धारण वर्ष |
| | अल्पकालिक पूंजी हानि | अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ | 8 निर्धारण वर्ष |
| 74A | रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से होने वाली हानि | रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से आय। | 4 निर्धारण वर्ष |

| घाटे के समायोजन का आदेश | |
|--|--|
| 1. | वर्तमान वर्ष का मूल्यहास / वैज्ञानिक अनुसंधान पर वर्तमान वर्ष का पूंजीगत व्यय और परिवार नियोजन पर वर्तमान वर्ष का व्यय, अनुमत सीमा तक। |
| 2. | व्यवसाय/पेशे से आगे लाया गया नुकसान [धारा 72(1)] |
| 3. | अनवशोषित मूल्यहास [धारा 32(2)] |
| 4. | वैज्ञानिक अनुसंधान पर अनवशोषित पूंजीगत व्यय [धारा 35(4)]। |
| 5. | परिवार नियोजन पर अनवशोषित व्यय [धारा 36(1)(ix)] |
| <p>नोट - धारा 80 के अनुसार, गृह संपत्ति से होने वाली हानि और अनवशोषित मूल्यहास को छोड़कर उपरोक्त हानियों को आगे ले जाने के लिए धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख के भीतर धारा 139(3) के तहत हानि रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।</p> | |



अपने ज्ञान का परीक्षण करें

1. नीचे दी गई जानकारी से निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए श्री एफ की सकल कुल आय की गणना करें-

| विवरण | ₹ |
|--|----------|
| गृह संपत्ति से आय (गणना की गई) | 1,25,000 |
| व्यवसाय से आय (मूल्यहास के प्रावधान से पहले) | 1,35,000 |
| गैर-सूचीबद्ध शेयरों की बिक्री पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ | 56,000 |
| संपत्ति की बिक्री से दीर्घकालिक पूंजीगत हानि (निर्धारण वर्ष 2025-26 से आगे लाई गई) | (90,000) |
| चाय व्यवसाय से आय | 1,20,000 |
| कृषि कार्य करने वाली भारतीय कंपनियों से लाभांश (सकल) | 80,000 |
| चालू वर्ष का मूल्यहास | 26,000 |
| अग्रेषित व्यावसायिक हानि (छह वर्ष पहले हुई हानि) | (45,000) |

2. श्री सोहन ने निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए अपनी आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है:

| विवरण | ₹ |
|--|--------------|
| वेतन से आय (गणना की गई) | 3,00,000 |
| किराए पर दी गई गृह संपत्ति से हानि | (-) 40,000 |
| चीनी व्यवसाय से आय | 50,000 |
| पिछले वर्ष 2020-21 के लिए लौह अयस्क व्यवसाय से हानि (पिछले वर्ष 2021-22 में बंद) | (-) 1,20,000 |
| अल्पकालिक पूंजीगत हानि | (-) 60,000 |
| दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ | 40,000 |
| लाभांश | 5,000 |
| लॉटरी जीतने से प्राप्त आय (कुल) | 50,000 |
| ताश के खेल से प्राप्त राशि (कुल) | 6,000 |
| कृषि आय | 20,000 |
| धारा 111A के अंतर्गत अल्पकालिक पूंजीगत हानि | (-) 10,000 |
| सावधि जमा पर बैंक ब्याज | 5,000 |

सकल कुल आय और आगे ले जाने वाली हानि की गणना करें, यह मानते हुए कि उसने धारा 115BAC(1A) के तहत प्रदान की गई डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है।

3. श्री बत्रा ने 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए हैं:

| विवरण | ₹ |
|--|----------|
| अल्पकालिक पूंजीगत लाभ | 1,40,000 |
| सट्टा कारोबार से हानि | 60,000 |
| भूमि की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ | 30,000 |
| गैर-सूचीबद्ध शेयरों की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत हानि | 1,00,000 |
| कपड़ा कारोबार से आय (चालू वर्ष के मूल्यहास को छोड़कर) | 50,000 |
| रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से आय | 15,000 |
| वेतन से आय (गणना की गई) | 1,00,000 |
| गृह संपत्ति से हानि | 40,000 |

अग्रेषित हानियाँ निम्नलिखित हैं:

- घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से होने वाली हानियाँ - निर्धारण वर्ष 2023-24 से संबंधित - ₹ 25,000।
- कपड़ा व्यवसाय से आगे लाई गई हानि ₹ 60,000 - हानि निर्धारण वर्ष 2018-19 से संबंधित है।

श्री बत्रा की कर निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए सकल कुल आय की गणना कीजिए, यह मानते हुए कि उन्होंने धारा 115BAC(1A) के अंतर्गत प्रदत्त डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है। साथ ही, कर निर्धारण वर्ष 2027-28 तक आगे ले जाने योग्य हानियों का भी निर्धारण कीजिए।

4. श्री A आपको 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करते हैं:

| | (₹) |
|---|----------|
| (i) वाहनों के परिचालन से आय (पुस्तकों के अनुसार गणना) (उनके पास वर्ष भर में 5 हल्के माल वाहन थे) | 3,20,000 |
| (ii) कपड़ों के खुदरा व्यापार से आय (पुस्तकों के अनुसार गणना की गई) (बिक्री कारोबार ₹ 1,35,70,000) | 7,50,000 |

| | | |
|-------|--|----------|
| | श्रीमान A ने पहली बार कर निर्धारण वर्ष 2026-27 में धारा 44AD के अंतर्गत प्रकल्पित आधार पर आय घोषित की थी। मान लीजिए कि कर पिछले वर्ष 2025-26 के दौरान कुल कारोबार का 10% नकद प्राप्त हुआ और शेष राशि एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से प्राप्त हुई और व्यय से संबंधित सभी भुगतान भी एकाउंट पेयी चेक या डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए। | |
| (iii) | उन्होंने निर्धारण वर्ष 2024-25 से संबंधित मूल्यहास को आगे लाया है | 1,00,000 |

श्री A की कर योग्य आय और निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए उनकी कर देयता की गणना, गणना के कारणों सहित करें, यह मानते हुए कि वह धारा 115BAC(1A) के तहत प्रदान की गई डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुनते हैं।

5. श्री आदित्य ने 31-03-2026 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए हैं:

| विवरण | राशि (₹) |
|---|----------|
| सट्टा व्यवसाय से हानि A | 25,000 |
| सट्टा व्यवसाय से आय B | 5,000 |
| धारा 35AD के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यवसाय से हानि | 20,000 |
| वेतन से आय (गणना) | 3,00,000 |
| किराए पर दी गई गृह संपत्ति से हानि | 2,50,000 |
| व्यापार व्यवसाय से आय | 45,000 |
| शहरी भूमि की बिक्री से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ | 2,00,000 |
| शेयरों की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत हानि (STT का भुगतान नहीं किया गया) | 75,000 |
| मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयरों की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत हानि (शेयरों के अधिग्रहण और बिक्री के समय भुगतान किया गया STT) | 1,02,000 |

आगे लाये गये नुकसान निम्नलिखित हैं:

- (1) निर्धारण वर्ष 2024-25 से संबंधित रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से होने वाली हानियां ₹ 2,000
- (2) निर्धारण वर्ष 2021-22 से संबंधित व्यापारिक कारोबार से ₹ 5,000 रुपये की हानि सामने आई।

श्री आदित्य की कुल आय की गणना करें और आगे ले जाने के लिए पात्र मदों को दिखाएं, यह मानते हुए कि वह धारा 115BAC(1A) के तहत प्रदान की गई डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुनते हैं।

6. श्री गर्ग, एक निवासी व्यक्ति, पिछले वर्ष 2025-26 के लिए अपनी आय और अन्य विवरण निम्नलिखित प्रस्तुत करते हैं:

| | विवरण | ₹ |
|-----|--|--------|
| (1) | वेतन से आय (गणना की गई) | 15,000 |
| (2) | व्यापार से आय | 66,000 |
| (3) | भूमि की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ | 10,800 |
| (4) | रेस के घोड़ों के रखरखाव पर हानि | 15,000 |
| (5) | जुए से हानि | 9,100 |

निर्धारण वर्ष 2025-26 से संबंधित अनवशोषित मूल्यह्रास और अग्रेषित हानियों का अन्य विवरण इस प्रकार है:

| | विवरण | ₹ |
|-----|------------------------|--------|
| (1) | अनवशोषित मूल्यह्रास | 11,000 |
| (2) | सट्टा कारोबार से हानि | 22,000 |
| (3) | अल्पकालिक पूंजीगत हानि | 9,800 |

श्री गर्ग की निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए सकल कुल आय और हानि की राशि, यदि कोई हो, जिसे आगे ले जाया जा सकता है या नहीं, की गणना करें।

7. 31.3.2026 को समाप्त वर्ष से संबंधित 57 वर्षीय निवासी भारतीय श्रीवत्सन से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

| | विवरण | ₹ |
|--|--|----------|
| | वेतन से आय (गणना की गई) | 2,20,000 |
| | गृह संपत्ति से हानि | 1,90,000 |
| | कपड़ा व्यवसाय से हानि | 2,40,000 |
| | सट्टेबाज़ी व्यवसाय से आय | 30,000 |
| | धारा 35AD के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट व्यवसाय से हानि | 20,000 |
| | शहरी भूमि की बिक्री से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ | 2,50,000 |
| | ताश के खेल से हानि | 32,000 |
| | सट्टेबाज़ी से आय (कुल) | 45,000 |
| | भुगतान किया गया जीवन बीमा प्रीमियम (बीमित पूंजी राशि का 10%) | 45,000 |

कुल आय की गणना करें और आगे ले जाने के लिए पात्र मदों को दिखाएं, यह मानते हुए कि उसने धारा 115BAC(1A) के तहत प्रदान की गई डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है।

8. श्री रजत 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने धारा 115BAC के तहत डिफॉल्ट कर व्यवस्था के तहत कर का भुगतान करने का निर्णय लिया है। वह चाहते हैं कि आप:

- (a) कुल आय की गणना करें; और
(b) आगे ले जाई जा सकने वाली हानि की राशि का पता लगाएं

| विवरण | ₹ |
|---|----------|
| (i) उनके पास किराये पर दिए गए दो मकान हैं: | |
| (a) मकान संख्या I - सभी वैधानिक कटौतियों के बाद की आय | 72,000 |
| (b) मकान संख्या II - चालू वर्ष का घाटा | (30,000) |
| (ii) उनके पास तीन मालिकाना व्यवसाय हैं | |
| (a) कपड़ा व्यवसाय: | |
| (i) 31 अक्टूबर, 2025 से बंद - चालू वर्ष की हानि | 40,000 |
| (ii) कर निर्धारण वर्ष 2021-22 का अग्रिम व्यावसायिक घाटा | 95,000 |
| (b) रासायनिक व्यवसाय: | |
| (i) 1 मार्च, 2023 से बंद - इसलिए कोई लाभ/हानि नहीं | शून्य |
| (ii) पिछले वर्षों में स्वीकृत अशोध्य ऋणों की इस वर्ष के दौरान वसूली की गई | 35,000 |
| (iii) निर्धारण वर्ष 2022-23 का अग्रिम व्यावसायिक घाटा | 50,000 |
| (c) चमड़ा व्यवसाय: चालू वर्ष का लाभ | 1,00,000 |
| (d) उस फर्म में लाभ का हिस्सा जिसमें वह 2009 से भागीदार है | 16,550 |
| (iii) (a) अल्पकालिक पूंजीगत लाभ | 60,000 |
| (b) दीर्घकालिक पूंजी हानि | 35,000 |
| (iv) प्रीमियम के लिए LIC को योगदान | 10,000 |

9. सुश्री गीता, एक निवासी व्यक्ति, 31.3.2026 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी आय/घाटे का निम्नलिखित विवरण प्रदान करती हैं:

- (i) एक साझेदारी फर्म से साझेदार के रूप में प्राप्त वेतन ₹ 7,50,000. फर्म को भी यही वेतन दिया गया।

- (ii) BSE में सूचीबद्ध शेयरों की बिक्री पर हानि ₹ 3,00,000। शेयर 15 महीने तक रखे गए और बिक्री एवं अधिग्रहण पर STT का भुगतान किया गया।
- (iii) भूमि की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ ₹ 5,00,000।
- (iv) पार्टी में मित्रों से नकद प्राप्त ₹ 51,000।
- (v) ₹ 55,000, जो घरेलू कंपनियों के सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय है।
- (vi) निर्धारण वर्ष 2024-25 का अग्रिम व्यावसायिक घाटा ₹ 12,50,000।

निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए सुश्री गीता की सकल कुल आय की गणना करें तथा आगे ले जाई जा सकने वाली हानि की राशि का पता लगाएं।

10. श्री P, एक निवासी व्यक्ति, पिछले वर्ष 2025-26 के लिए अपनी आय और अन्य विवरण का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं

| क्रम सं. | विवरण | ₹ |
|----------|--|--------|
| (i) | वेतन से आय (गणना) | 18,000 |
| (ii) | गृह संपत्ति का शुद्ध वार्षिक मूल्य | 70,000 |
| (iii) | व्यवसाय से आय | 80,000 |
| (iv) | सट्टा व्यवसाय से आय | 12,000 |
| (v) | भूमि की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ | 15,800 |
| (vi) | रेस के घोड़े के रखरखाव पर हानि | 9,000 |
| (vii) | जुआ खेलने पर हानि | 8,000 |

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत स्वीकार्य मूल्य ह्रास ₹ 8,000 है, जिसके लिए ऊपर कोई व्यवस्था नहीं दी गई है।

अनवशोषित मूल्यह्रास और अशोषित हानियों (निर्धारण वर्ष 2024-25 से संबंधित) के अन्य विवरण इस प्रकार हैं:

| क्रम सं. | विवरण | ₹ |
|----------|------------------------|--------|
| (i) | अनवशोषित मूल्यह्रास | 9,000 |
| (ii) | सट्टा व्यवसाय से हानि | 16,000 |
| (iii) | अल्पकालिक पूंजीगत हानि | 7,800 |

निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए श्री P की सकल कुल आय की गणना करें, तथा हानि की वह राशि जो आगे ले जाई जा सकती है या नहीं।

11. श्री प्रकाश ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की है:

| विवरण | ₹ |
|--|----------|
| सट्टा व्यवसाय से हानि-X | 85,000 |
| सट्टा व्यवसाय से लाभ-Y | 45,000 |
| स्व-अधिभोगित गृह संपत्ति के संबंध में उधार पर ब्याज किराए पर दी गई गृह संपत्ति से आय | 3,18,000 |
| धारा 44AD के अंतर्गत व्यापार और विनिर्माण व्यवसाय से प्रकल्पित आय | 1,20,000 |
| XYZ (P) Ltd. से वेतन | 1,00,000 |
| PPF जमा पर ब्याज | 5,25,000 |
| खाली भूखंड की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ | 75,000 |
| आभूषणों की बिक्री पर अल्पकालिक पूंजीगत हानि | 1,25,000 |
| 31-03-26 को कर बचत जमा में निवेश | 65,000 |
| 60,000 | |
| कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के व्यवसाय का अग्रिम घाटा | 1,00,000 |

कर निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए श्री प्रकाश की कुल आय की गणना करें और आगे ले जाने योग्य हानि भी दर्शाएँ। मान लें कि उन्होंने डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है।

12. श्री जाजी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वर्ष 2025-26 के लिए उनके पेशे से आय ₹10,00,000 है। वे आपको वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करते हैं।

| विवरण | ₹ |
|--|-----------|
| कंपनी जमा से नाबालिग बेटे बीजू की आय | 1,50,000 |
| नाबालिग बेटे चित्रा (पेशेवर नृत्यांगना) की आय | 20,00,000 |
| चित्रा द्वारा अपनी विशेष प्रतिभा से 2024 में की गई जमा राशि पर एसबीआई से प्राप्त ब्याज | 20,000 |
| श्री जाजी के राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर उनके मित्रों से 30-09-2025 को चित्रा को प्राप्त उपहार | 45,000 |
| श्री जाजी की अल्पकालिक पूंजीगत हानि | 6,00,000 |
| श्री जाजी का दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ | 4,00,000 |

| | |
|--|-----------|
| श्री जाजी के शेयरों से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (STT भुगतान) | 10,00,000 |
| श्री जाजी की धारा 111A के अंतर्गत अल्पकालिक पूंजीगत हानि | 10,00,000 |

श्री जाजी की कर निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए कुल आय और आगे ले जाए जाने वाले घाटे की गणना कीजिए। श्री जाजी ने डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है।

उत्तर

1. निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए श्री F की सकल कुल आय

| विवरण | ₹ | ₹ |
|--|----------|-----------------|
| गृह संपत्ति से आय (गणना) | | 1,25,000 |
| व्यवसाय से आय | | |
| मूल्यह्रास से पहले लाभ | 1,35,000 | |
| कम: चालू वर्ष का मूल्यह्रास | (26,000) | |
| कम: अग्रिम व्यावसायिक हानि | (45,000) | |
| | 64,000 | |
| चाय व्यवसाय से आय (40% व्यावसायिक आय है) | 48,000 | 1,12,000 |
| पूंजीगत लाभ | | |
| अल्पकालिक पूंजीगत लाभ | | 56,000 |
| अन्य स्रोतों से आय | | |
| लाभांश आय (शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य) | | 80,000 |
| सकल कुल आय | | 3,73,000 |

नोट्स:

- (1) भारतीय कंपनियों से प्राप्त लाभांश, निवासी शेयरधारकों के हाथों में सामान्य कर दरों पर कर योग्य है।
- (2) चाय व्यवसाय से होने वाली आय का 60% कृषि आय माना जाता है और इसलिए, कर से मुक्त है;
- (3) दीर्घकालिक पूंजीगत हानि को केवल दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। इसलिए, कर निर्धारण वर्ष 2025-26 से आगे लाई गई ₹ 90,000 की दीर्घकालिक पूंजीगत हानि को कर निर्धारण वर्ष 2026-27 में समायोजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस वर्ष कोई दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ नहीं हुआ है। इसे कर निर्धारण वर्ष 2027-28 के दौरान दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजित करने के लिए आगे ले जाना होगा।

2. श्री सूहान की निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए सकल कुल आय की गणना

| विवरण | ₹ | ₹ |
|---|----------|-----------------|
| वेतन | | |
| वेतन से आय | 3,00,000 | |
| घटाएँ: धारा 71 के अनुसार वेतन आय के विरुद्ध गृह संपत्ति से होने वाली हानि | (40,000) | 2,60,000 |
| व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति | | |
| चीनी व्यवसाय से आय | 50,000 | |
| घटाएँ: लौह अयस्क व्यवसाय से ₹ 1,20,000 की अग्रिम हानि, धारा 72(1) के अनुसार ₹ 50,000 तक का समययोजन पिछले वर्ष 2020-21 का शेष ₹ 70,000 का व्यावसायिक घाटा निर्धारण वर्ष 2027-28 तक आगे ले जाया जाएगा | (50,000) | शून्य |
| पूंजीगत लाभ | | |
| दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ | 40,000 | |
| घटाएँ: ₹ 60,000 की अल्पकालिक पूंजी हानि को ₹ 40,000 तक समायोजित करें | (40,000) | शून्य |
| शेष ₹ 20,000 की अल्पकालिक पूंजी हानि को आगे ले जाया जाएगा | | |
| धारा 111A के तहत ₹ 10,000 की अल्पकालिक पूंजी हानि को भी आगे ले जाया जाएगा। | | |
| अन्य स्रोतों से आय | | |
| लाभांश (शेयरधारकों के हाथों में पूरी तरह से कर योग्य) | 5,000 | |
| लॉटरी से जीत | 50,000 | |
| कार्ड गेम से जीत | 6,000 | |
| बैंक FD ब्याज | 5,000 | 66,000 |
| सकल कुल आय | | 3,26,000 |
| घाटे को निर्धारण वर्ष 2027-28 तक आगे ले जाया जाएगा | | |
| लौह अयस्क व्यवसाय की हानि (₹ 1,20,000 - ₹50,000) | 70,000 | |
| अल्पावधि पूंजी हानि (₹ 20,000 + ₹10,000) | 30,000 | |

नोट: कृषि आय धारा 10(1) के अंतर्गत छूट प्राप्त है।

3. निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए श्री बत्रा की सकल कुल आय की गणना

| विवरण | ₹ | ₹ |
|--|----------|-----------------|
| वेतन | 1,00,000 | |
| घटाएँ: चालू वर्ष में गृह संपत्ति से हानि | (40,000) | 60,000 |
| व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति | | |
| कपड़ा व्यवसाय से आय | 50,000 | |
| घटाएँ: कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से कपड़ा व्यवसाय से ₹ 60,000 की हानि को ₹ 50,000 की सीमा तक समायोजित किया गया [नोट 1 देखें] | (50,000) | शून्य |
| रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से आय | 15,000 | |
| घटाएँ: निर्धारण वर्ष 2023-24 से रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से ₹ 25,000 की हानि, ₹ 15,000 की सीमा तक समायोजित। | (15,000) | शून्य |
| ₹10,000 की शेष हानि को निर्धारण वर्ष 2027-28 तक आगे ले जाया जाएगा [नोट 2 देखें] | | |
| पूंजीगत लाभ | | |
| अल्पकालिक पूंजीगत लाभ | | 1,40,000 |
| भूमि की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ | 30,000 | |
| घटाएँ: असूचीबद्ध शेयरों की बिक्री पर ₹ 1,00,000 की दीर्घकालिक पूंजी हानि, ₹ 30,000 की सीमा तक समायोजित। | (30,000) | शून्य |
| ₹ 70,000 की शेष हानि को निर्धारण वर्ष 2027-28 तक आगे ले जाया जाएगा [नोट 3 देखें] | | |
| सकल कुल आय | | 2,00,000 |

घाटे को निर्धारण वर्ष 2027-28 तक आगे ले जाया जाएगा

| विवरण | ₹ |
|--|--------|
| सट्टा कारोबार से चालू वर्ष की हानि [नोट-4 देखें] | 60,000 |
| गैर-सूचीबद्ध शेयरों की बिक्री पर चालू वर्ष की दीर्घकालिक पूंजीगत हानि | 70,000 |
| निर्धारण वर्ष 2023-24 से संबंधित रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से हानि | 10,000 |

नोट्स: -

- (1) धारा 72(3) के अनुसार, व्यावसायिक हानि को उस निर्धारण वर्ष के तुरंत बाद अधिकतम आठ निर्धारण वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है जिसके लिए हानि की पहली बार गणना की गई थी। चूंकि निर्धारण वर्ष 2018-19 की व्यावसायिक हानि को आगे बढ़ाने की आठ वर्ष की अवधि निर्धारण वर्ष 2026-27 में समाप्त हो गई है, इसलिए शेष ₹10,000 की अनवशोषित व्यावसायिक हानि को निर्धारण वर्ष 2027-28 तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
- (2) धारा 74A(3) के अनुसार, रेस के घोड़ों के रखरखाव पर हुए नुकसान को रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि के अलावा किसी अन्य स्रोत से होने वाली आय से समायोजित नहीं किया जा सकता। इस तरह के नुकसान को अधिकतम 4 कर निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
- (3) असूचीबद्ध शेयरों की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत हानि को भूमि की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। शेष ₹ 70,000 की हानि को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ या किसी अन्य आय मद के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता। इसे आगामी कर निर्धारण वर्ष के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के विरुद्ध समायोजित करने के लिए आगे ले जाना होगा। ऐसी दीर्घकालिक पूंजीगत हानि को अधिकतम आठ कर निर्धारण वर्षों के लिए आगे ले जाया जा सकता है।
- (4) सट्टा व्यवसाय से होने वाली हानि को किसी अन्य सट्टा व्यवसाय के लाभ और प्राप्ति के अतिरिक्त किसी अन्य आय से समायोजित नहीं किया जा सकता। हालाँकि, धारा 73(4) के अनुसार, ऐसी हानि को सट्टा व्यवसाय से होने वाली आय से समायोजित करने के लिए अधिकतम चार वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है।

4.

निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए श्री A की कुल आय और कर देयता की गणना

| विवरण | ₹ |
|---|----------|
| खुदरा व्यापार से आय - पुस्तकों के अनुसार (नीचे नोट 1 देखें) | 7,50,000 |

| | |
|---|-------------------------|
| वाहनों के परिचालन से आय - पुस्तकों के अनुसार (नीचे नोट 2 देखें) | 3,20,000 |
| घटाएँ: निर्धारण वर्ष 2024-25 से संबंधित b/f मूल्यहास का समययोजन | 10,70,000 (1,00,000) |
| कुल आय | 9,70,000 |
| कर देयता | |
| जोड़ें: स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4% | 1,06,500 |
| कुल कर देयता | 4,260 |
| | 1,10,760 |

नोट्स:

1. **खुदरा व्यापार से आय:** धारा 44AD के अंतर्गत अनुमानित व्यावसायिक आय ₹8,41,340 है, अर्थात् ₹13,57,000 का 8%, जो नकद में प्राप्त कुल कारोबार का 10% है और ₹1,22,13,000 का 6%, जो खाता-भुगतानकर्ता चेक के माध्यम से प्राप्त बिक्री कारोबार की राशि है। हालाँकि, लेखा-पुस्तकों के अनुसार गणना की गई आय ₹7,50,000 है, जिसे ₹1,00,000 के अनवशोषित मूल्यहास की राशि से और घटाया जाना है। चूँकि लेखा-पुस्तकों के अनुसार गणना की गई आय धारा 44AD के अंतर्गत मानी गई आय से कम है, इसलिए करदाता लेखा-पुस्तकों के अनुसार आय को अपना सकता है।

हालाँकि, यदि वह धारा 44AD के अंतर्गत प्रकल्पित कराधान के अनुसार लाभ घोषित नहीं करता है, तो उसे धारा 44AB के अंतर्गत अपने लेखा-बही का ऑडिट करवाना होगा, क्योंकि उसका टर्नओवर ₹1 करोड़ से अधिक है (₹10 करोड़ की बड़ी हुई सीमा उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि टर्नओवर का 5% से अधिक नकद प्राप्त होता है)। साथ ही, उसका मामला धारा 44AD(4) के अंतर्गत आएगा और इसलिए, कर ऑडिट अनिवार्य है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि वह इस वर्ष धारा 44AD के अंतर्गत प्रकल्पित प्रावधानों के अनुसार लाभ घोषित नहीं करता है, तो वह अगले पाँच कर निर्धारण वर्षों तक धारा 44AD के अंतर्गत प्रकल्पित प्रावधानों के अंतर्गत आय घोषित नहीं कर सकता है।

2. **हल्के मालवाहक वाहनों के परिचालन से आय:** धारा 44AE(1) के अंतर्गत गणना की गई आय ₹ 7,500 x 12 x 5 होगी, जो ₹ 4,50,000 के बराबर है। हालाँकि, पुस्तकों के अनुसार वाहनों के परिचालन से आय ₹ 3,20,000 है, जो धारा 44AE(1) के अनुसार गणना की गई ₹ 4,50,000 की अनुमानित आय से कम है। इसलिए, करदाता पुस्तकों के अनुसार आय अर्थात् ₹ 3,20,000 को अपना सकता है, बशर्ते वह धारा 44AA के अनुसार लेखा पुस्तकें बनाए रखे और अपने खातों का ऑडिट कराए और धारा 44AB के तहत आवश्यक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त दोनों मामलों में, यदि आय प्रकल्पित प्रावधानों के तहत घोषित की जाती है, तो धारा 30 से 38 के तहत मूल्यह्रास सहित सभी कटौतियां पूरी तरह लागू मानी जाएंगी तथा उन धाराओं के तहत आगे कोई कटौती स्वीकार्य नहीं होगी।

यदि आय को प्रकल्पित प्रावधानों के अनुसार घोषित किया जाता है, तो उसकी कुल आय निम्नानुसार होगी:

| विवरण | ₹ |
|---|------------------|
| धारा 44AD के तहत खुदरा व्यापार से आय [13,57,000 @ 8% प्लस ₹ 1,22,13,000 @ 6%] | 8,41,340 |
| धारा 44AE के तहत हल्के माल वाहनों के संचालन से आय [₹ 7,500 x 12 x 5] | 4,50,000 |
| | 12,91,340 |
| घटाएँ: अग्रिम मूल्यह्रास का समायोजन - संभव नहीं है क्योंकि यह माना जाता है कि इसे अनुमति दी गई है और समायोजन कर दिया गया है | शून्य |
| कुल आय | 12,91,340 |
| उस पर कर | 1,99,902 |
| जोड़ें: स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @4% | 7,996 |
| कुल कर देयता | 2,07,898 |
| कुल कर देयता (पूर्णांकित) | 2,07,900 |

5. श्री आदित्य की निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए कुल आय की गणना

| विवरण | ₹ | ₹ |
|---|------------|----------|
| वेतन | | |
| वेतन से आय | 3,00,000 | |
| घटाएँ: धारा 71(3A) के अनुसार वेतन आय के विरुद्ध गृह संपत्ति से होने वाली हानि का समायोजन [₹ 23,000 तक की गृह संपत्ति से होने वाली हानि को पहले शेष पूंजीगत लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है और फिर शेष ₹ 1,77,000 को वेतन के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है] | (1,77,000) | 1,23,000 |
| गृह संपत्ति से होने वाली हानि, जो कि समायोजित नहीं की गई है, अर्थात् ₹ 50,000 (₹ 2,50,000 - ₹ 2,00,000) को निर्धारण वर्ष 2027-28 तक आगे ले जाया जाएगा। | | |

| | | |
|--|------------|-----------------|
| <p>व्यापार या पेशे से लाभ और प्राप्ति व्यापार से आय</p> <p><i>कम:</i> निर्धारण वर्ष 2021-22 के व्यापारिक व्यवसाय से आगे लाई गई हानि को धारा 72(1) के अनुसार व्यापारिक व्यवसाय से चालू वर्ष की आय के विरुद्ध समायोजन किया जा सकता है, क्योंकि धारा 72(3) के तहत निर्दिष्ट आठ वर्ष की समय सीमा, जिसके भीतर समायोजन की अनुमति है, समाप्त नहीं हुई है।</p> | 45,000 | 40,000 |
| | (5,000) | |
| <p>सट्टा व्यवसाय से आय B</p> <p><i>घटाएँ:</i> सट्टा व्यवसाय से ₹ 25,000 की हानि धारा 73(1) के अनुसार ₹ 5,000 तक का समायोजन</p> <p>सट्टा व्यवसाय A से 20,000 रुपये की शेष हानि को धारा 73(2) के अनुसार निर्धारण वर्ष 2027-28 तक आगे ले जाया जाएगा। धारा 35AD के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यवसाय से ₹ 20,000 की हानि को धारा 73A के अनुसार निर्दिष्ट व्यवसाय से आय के विरुद्ध समायोजन के लिए आगे ले जाया जाएगा।</p> <p>पूंजीगत लाभ</p> <p>शहरी भूमि की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ</p> <p><i>घटाएँ:</i> शेयरों की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत हानि (STT का भुगतान नहीं किया गया) धारा 74(1) के अनुसार समायोजन]</p> <p><i>घटाएँ:</i> सूचीबद्ध शेयरों की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत हानि, जिस पर STT का भुगतान किया जाता है, को भी धारा 74(1) के अनुसार समायोजित किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे शेयरों की बिक्री पर उत्पन्न दीर्घकालिक पूंजी धारा 112A के तहत कर योग्य है।</p> <p><i>घटाएँ:</i> गृह संपत्ति से होने वाले नुकसान का समायोजन</p> | 5,000 | शून्य |
| | (5,000) | |
| | 2,00,000 | शून्य |
| | (75,000) | |
| | (1,02,000) | शून्य |
| | (23,000) | |
| कुल आय | | 1,63,000 |

निर्धारण वर्ष 2027-28 तक आगे ले जाने के लिए पात्र आइटम

| विवरण | ₹ |
|---|--------|
| <p>गृह संपत्ति से हानि</p> <p>धारा 71(3A) के अनुसार, गृह संपत्ति से होने वाले नुकसान को ₹ 2,00,000 तक की सीमा तक किसी अन्य आय मद में समायोजित किया जा सकता है।</p> | 50,000 |

चूंकि श्री आदित्य धारा 115BAC(1A) के तहत प्रदत्त डिफ्रॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुन रहे हैं।

धारा 71B के अनुसार, शेष राशि जो समायोजन नहीं की गई है, उसे उस वर्ष की गृह संपत्ति से आय के विरुद्ध समायोजन के लिए अगले वर्ष में ले जाया जा सकता है। इस मामले में, इसे अधिकतम आठ कर निर्धारण वर्षों, अर्थात् कर निर्धारण वर्ष 2034-35 तक, के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

सट्टा व्यवसाय से हानि A

सट्टा व्यवसाय से होने वाली हानि का समायोजन केवल किसी अन्य सट्टा व्यवसाय से होने वाले लाभ के विरुद्ध ही किया जा सकता है। धारा 73(2) के अनुसार, समायोजन न की गई शेष हानि को उस वर्ष की सट्टा व्यवसाय आय के विरुद्ध समायोजन हेतु अगले वर्ष में ले जाया जा सकता है। इस मामले में, धारा 73(4) के अनुसार, ऐसी हानि को अधिकतम चार निर्धारण वर्षों, अर्थात् कर निर्धारण वर्ष 2030-31 तक, के लिए आगे ले जाया जा सकता है।

निर्दिष्ट व्यवसाय से हानि

धारा 35एडी के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यवसाय से होने वाली हानि को केवल किसी अन्य निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। यदि हानि को इस प्रकार समायोजित नहीं किया जा सकता है, तो उसे निर्दिष्ट व्यवसाय से उस वर्ष की आय, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजित करने के लिए आगामी वर्ष में आगे ले जाना होगा। धारा 73A(2) के अनुसार, ऐसी हानि को किसी भी निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ के विरुद्ध समायोजित करने के लिए अनिश्चित काल तक आगे ले जाया जा सकता है।

श्री आदित्य धारा 35AD के तहत कटौती के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने धारा 115BAC(1A) के तहत प्रदत्त डिफ्रॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है। तदनुसार, वे ऐसे व्यवसाय से होने वाले नुकसान को किसी अन्य निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ के विरुद्ध समायोजन करने के लिए अनिश्चित काल तक आगे ले जा सकते हैं।

रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से होने वाली हानि रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से होने वाली हानि (चालू वर्ष या आगे लाई गई) को केवल रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से होने वाली आय के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।

यदि इसे इस प्रकार समायोजित नहीं किया जा सकता है, तो इसे अगले वर्ष में रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से होने वाली आय, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजित करने के लिए आगे ले जाना होगा। इसे अधिकतम चार निर्धारण वर्षों के लिए, अर्थात् इस मामले में, धारा 74A(3) के तहत निर्दिष्ट अनुसार, निर्धारण वर्ष 2028-29 तक आगे ले जाया जा सकता है।

20,000

20,000

2,000

6. निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए श्री गर्ग की सकल कुल आय की गणना

| विवरण | ₹ | ₹ |
|---|----------|---------------|
| (i) वेतन से आय | | 15,000 |
| (ii) व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति | 66,000 | |
| घटाएँ: कर निर्धारण वर्ष 2025-26 से आगे लाया गया अनवशोषित मूल्यहास (अनवशोषित मूल्यहास को "वेतन" के अलावा आय के किसी भी शीर्ष के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है) | (11,000) | 55,000 |
| (iii) पूंजीगत लाभ | | |
| भूमि की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ | 10,800 | |
| घटाएँ: अग्रिम अल्पकालिक पूंजीगत हानि [धारा 74(1) के अनुसार अल्पकालिक पूंजीगत हानि को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ दोनों के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है] | (9,800) | 1,000 |
| सकल कुल आय | | 71,000 |

हानि की राशि को निर्धारण वर्ष 2027-28 तक आगे ले जाया जाएगा

| | विवरण | ₹ |
|-----|--|--------|
| (1) | सट्टा कारोबार से हानि [धारा 73 के अनुसार आगे ले जाई जाएगी] [किसी सट्टा व्यवसाय से होने वाली हानि को केवल किसी अन्य सट्टा व्यवसाय से होने वाली आय के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। चूंकि चालू वर्ष में सट्टा व्यवसाय से कोई आय नहीं हुई है, इसलिए कर निर्धारण वर्ष 2025-26 से आगे लाए गए ₹22,000 के पूरे नुकसान को उस वर्ष की सट्टा व्यवसाय आय के विरुद्ध समायोजित करने के लिए कर निर्धारण वर्ष 2027-28 तक आगे ले जाना होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि सट्टा व्यवसाय हानि को धारा 73(4) के अनुसार अधिकतम चार वर्षों के लिए, अर्थात् कर निर्धारण वर्ष 2029-30 तक आगे ले जाया जा सकता है।] | 22,000 |
| (2) | रेस के घोड़ों के रखरखाव पर नुकसान [धारा 74A के अनुसार आगे ले जाया जाएगा] [धारा 74A(3) के अनुसार, किसी भी कर निर्धारण वर्ष में घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से हुई हानि को घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि के अलावा किसी अन्य स्रोत से | 15,000 |

| | | |
|-----|--|--|
| | प्राप्त आय से समायोजित नहीं किया जा सकता। ऐसी हानि को अधिकतम चार कर निर्धारण वर्षों, अर्थात् कर निर्धारण वर्ष 2030-31 तक आगे बढ़ाया जा सकता है।] | |
| (3) | जुए से होने वाली हानि को न तो समायोजित किया जा सकता है और न ही आगे बढ़ाया जा सकता है। | |

7. श्री श्रीवत्सन की निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए कुल आय की गणना

| विवरण | ₹ | ₹ |
|--|------------|---------------|
| वेतन | | |
| वेतन से आय | 2,20,000 | |
| घटाएँ: गृह संपत्ति से ₹ 1,50,000 की शेष हानि का समायोजन | (1,50,000) | 70,000 |
| व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति | | |
| सट्टा व्यवसाय से आय | 30,000 | |
| घटाएँ: कपड़ा व्यवसाय से ₹ 2,40,000 की हानि, ₹ 30,000 की सीमा तक समायोजित | (30,000) | शून्य |
| पूंजीगत लाभ | | |
| शहरी भूमि की बिक्री से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ | 2,50,000 | |
| घटाएँ: कपड़ा व्यवसाय से ₹ 2,10,000 की शेष हानि का समायोजन | (2,10,000) | |
| घटाएँ: गृह संपत्ति से होने वाले नुकसान का समायोजन | (40,000) | शून्य |
| अन्य स्रोतों से आय | | |
| सट्टेबाजी से आय | | 45,000 |
| सकल कुल आय | | 1,15,000 |
| घटाएँ: धारा 80C के अंतर्गत कटौती (भुगतान किया गया जीवन बीमा प्रीमियम) | | 45,000 |
| कुल आय | | 70,000 |

आगे ले जाए जाने वाले नुकसान:

| विवरण | ₹ |
|--|--------|
| (1) कपड़ा व्यवसाय से हानि (₹2,40,000 - ₹ 30,000 - ₹2,10,000) | शून्य |
| (2) धारा 35AD के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट व्यवसाय से हानि | 20,000 |

नोट्स:

- (i) धारा 35AD के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट व्यवसाय से होने वाली हानि का समायोजन केवल किसी अन्य निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ के विरुद्ध ही किया जा सकता है। इसलिए, ऐसी हानि का समायोजन किसी अन्य आय के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। अनवशोषित हानि को अगले वर्ष किसी निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ के विरुद्ध समायोजन हेतु आगे ले जाना होगा। श्री श्रीवत्सन धारा 35AD के अंतर्गत कटौती के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने धारा 115BAC(1A) के अंतर्गत प्रदत्त डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुना है। इसलिए, वह धारा 35AD के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यवसाय से ₹20,000 की हानि को किसी भी निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ के विरुद्ध समायोजन हेतु अनिश्चित काल के लिए आगे ले जा सकते हैं।
- (ii) व्यावसायिक घाटे को वेतन आय से समायोजित नहीं किया जा सकता। हालाँकि, शेष ₹2,10,000 की व्यावसायिक हानि (₹2,40,000 - ₹30,000 सट्टेबाज़ी व्यवसाय से आय से समायोजित) को शहरी भूमि की बिक्री से प्राप्त ₹2,50,000 के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ से समायोजित किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, कर योग्य दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ ₹40,000 होगा।
- (iii) ताश के खेल से होने वाली हानि को न तो किसी अन्य आय से समायोजित किया जा सकता है, न ही उसे आगे बढ़ाया जा सकता है।
- (iv) सट्टेबाज़ी से प्राप्त आय धारा 115BB के अंतर्गत 30% की एक समान दर पर प्रभार्य है तथा ऐसी आय से कटौती के रूप में किसी व्यय या भत्ते की अनुमति नहीं दी जा सकती है, न ही ऐसी आय के विरुद्ध किसी हानि का समायोजन किया जा सकता है।

8. निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए श्री रजत की कुल आय की गणना

| विवरण | ₹ | ₹ |
|-----------------------------|------------|--------|
| 1. गृह संपत्ति से आय | | |
| मकान नंबर 1 | 72,000 | |
| मकान नंबर 2 | (-) 30,000 | 42,000 |

| | | |
|--|------------|-----------------|
| 2. व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति | | |
| चमड़े के व्यवसाय से लाभ | 1,00,000 | |
| धारा 41(4) के तहत वसूले गए खराब ऋण कर योग्य हैं | 35,000 | |
| | 1,35,000 | |
| घटाएँ: चालू वर्ष में कपड़ा व्यवसाय का घाटा | (-) 40,000 | |
| | 95,000 | |
| घटाएँ: निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए कपड़ा व्यवसाय की अग्रिम व्यावसायिक हानि को चालू वर्ष की व्यावसायिक आय से घटाया गया | (-) 95,000 | शून्य |
| 3. पूंजीगत लाभ | | |
| अल्पकालिक पूंजीगत लाभ | | 60,000 |
| सकल कुल आय | | 1,02,000 |
| घटाएँ: अध्याय VI-A के अंतर्गत कटौती | | |
| धारा 80C के अंतर्गत – LIC प्रीमियम का भुगतान (उपलब्ध नहीं है क्योंकि वह डिफॉल्ट कर व्यवस्था के तहत कर का भुगतान कर रहा है) | | - |
| कुल आय | | 1,02,000 |

निर्धारण वर्ष 2027-28 तक आगे ले जाए जाने वाले घाटे का विवरण

| विवरण | ₹ |
|--|--------|
| निर्धारण वर्ष 2022-23 के रासायनिक व्यवसाय के घाटे को धारा 72 के तहत आगे बढ़ाया जाएगा | 50,000 |
| निर्धारण वर्ष 2026-27 की दीर्घकालिक पूंजी हानि को धारा 74 के अंतर्गत आगे ले जाया जाएगा | 35,000 |

नोट्स:

- (1) फर्म से प्राप्त ₹16,550 के लाभ का हिस्सा धारा 10(2A) के अंतर्गत छूट प्राप्त है।
- (2) दीर्घकालिक पूंजीगत हानि को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ से समायोजित नहीं किया जा सकता। इसलिए, इसे उस वर्ष के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ से समायोजित करने के लिए अगले वर्ष में ले जाना होगा।

9. निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए सुश्री गीता की सकल कुल आय की गणना

| विवरण | ₹ |
|--|-----------------|
| व्यापार और पेशे से लाभ और प्राप्ति | |
| साझेदारी फर्म से साझेदार के रूप में प्राप्त वेतन "व्यवसाय और पेशे से लाभ और प्राप्ति" शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है। | 7,50,000 |
| घटाएँ: निर्धारण वर्ष 2024-25 की व्यावसायिक हानि के पूर्व ₹ 12,50,000 को ₹ 7,50,000 की सीमा तक समायोजित किया जाएगा। | (7,50,000) |
| (₹5,00,000 की व्यावसायिक हानि से शेष राशि अगले वर्ष के लिए आगे ले जाई जा सकती है) | शून्य |
| पूंजीगत लाभ | |
| भूमि की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ | 5,00,000 |
| घटाएँ: STT भुगतान पर शेयरों पर दीर्घकालिक पूंजीगत हानि (नीचे नोट 2 देखें) | (3,00,000) |
| अन्य स्रोतों से आय | |
| मित्रों से प्राप्त नकद उपहार - चूँकि नकद उपहार का मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है, इसलिए पूरी राशि कर योग्य है। | 51,000 |
| घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश आय शेयरधारकों के हाथों में पूरी तरह से कर योग्य होती है | 55,000 |
| सकल कुल आय | 3,06,000 |

नोट्स:

- निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आगे लाई गई शेष व्यावसायिक हानि 5,00,000 रुपये को अगले वर्ष में आगे ले जाना होगा।
- शेयरों की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत हानि, जिस पर अधिग्रहण और बिक्री के समय STT का भुगतान किया गया हो, को भूमि की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है क्योंकि शेयरों की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (STT का भुगतान) धारा 112A के अंतर्गत कर योग्य है। इसलिए, इसे धारा 70(3) के अनुसार भूमि की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।

10. निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए श्री P की सकल कुल आय की गणना

| विवरण | ₹ | ₹ |
|--|----------|----------|
| (i) वेतन से आय | | 18,000 |
| (ii) गृह संपत्ति से आय | | |
| शुद्ध वार्षिक मूल्य | 70,000 | |
| घटाएँ: धारा 24 के अंतर्गत कटौती (30% का ₹70,000) | (21,000) | 49,000 |
| (iii) व्यवसाय और पेशे से आय | | |
| (a) व्यवसाय से आय | 80,000 | |
| घटाएँ: चालू वर्ष का मूल्यहास | (8,000) | |
| | 72,000 | |
| घटाएँ: अनवशोषित मूल्यहास | (9,000) | 63,000 |
| (b) सट्टा व्यवसाय से आय | 12,000 | |
| घटाएँ: से ₹ 16,000 का लाया/अग्रेषित घाटा | | |
| सट्टा कारोबार का 12,000 रुपये तक का समायोजन | (12,000) | शून्य |
| (₹4,000 (अर्थात ₹ 16,000 - ₹12,000) की शेष हानि को अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है) | | |
| (iv) पूंजीगत लाभ से आय | | |
| भूमि की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ | 15,800 | |
| घटाएँ: अग्रिम अल्पकालिक पूँजी हानि | (7,800) | 8,000 |
| सकल कुल आय | | 1,38,000 |

अगले वर्ष के लिए आगे ले जाई जाने वाली हानि की राशि

| विवरण | ₹ |
|--|-------|
| सट्टा व्यवसाय से हानि (धारा 73 के अनुसार आगे ले जाई जाएगी) | 4,000 |
| रेस के घोड़ों के रखरखाव पर हानि (धारा 74 A के अनुसार आगे ले जाई जाएगी) | 9,000 |

नोट्स:

- (i) जुए से होने वाली हानि को न तो समायोजित किया जा सकता है और न ही आगे बढ़ाया जा सकता है।
- (ii) धारा 74A(3) के अनुसार, रेस के घोड़ों के रखरखाव पर हुई हानि को रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि के अलावा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त आय से समायोजित नहीं किया जा सकता है। ऐसी हानि को अधिकतम 4 निर्धारण वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
- (iii) आगे लाई गई सट्टा व्यवसाय हानि को केवल चालू वर्ष के सट्टा व्यवसाय से प्राप्त आय से समायोजित किया जा सकता है और शेष हानि को कर निर्धारण वर्ष 2027-28 तक आगे बढ़ाया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 73(4) के अनुसार सट्टा व्यवसाय हानि को अधिकतम चार वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

11. श्री प्रकाश की निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए कुल आय की गणना

| विवरण | ₹ | ₹ |
|--|-------------------|----------|
| XYZ (P) लिमिटेड से वेतन | 5,25,000 | |
| घटाएँ: धारा 16(ii) के तहत मानक कटौती | <u>50,000</u> | |
| | 4,75,000 | |
| घटाएँ: गृह संपत्ति से ₹ 20,000 की हानि [₹ 80,000 - ₹ 60,000, दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के विरुद्ध हानि समायोजन] | <u>(20,000)</u> | 4,55,000 |
| गृह संपत्ति से आय | | |
| किराए पर दी गई गृह संपत्ति से आय | 1,20,000 | |
| घटाएँ: स्व-अधिभोगित गृह संपत्ति से ₹ 2 लाख तक की हानि, उधार पर ब्याज के संबंध में धारा 24(बी) के तहत कटौती के रूप में स्वीकार्य। | <u>(2,00,000)</u> | |
| | (80,000) | |
| व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति | | |
| सट्टा व्यवसाय से लाभ Y | 45,000 | |
| घटाएँ: सट्टा व्यवसाय X से ₹ 85,000 की हानि, सट्टा व्यवसाय Y से हुए लाभ के विरुद्ध ऐसे लाभ की सीमा तक समायोजन | <u>(45,000)</u> | शून्य |

| | | |
|--|------------|-----------------|
| व्यापार और विनिर्माण व्यवसाय से अनुमानित आय | 1,00,000 | |
| घटाएँ: कर निर्धारण वर्ष 2020-21 का अग्रिम व्यावसायिक घाटा घटाया गया है क्योंकि आठ कर निर्धारण वर्षों की अवधि समाप्त नहीं हुई है। | (1,00,000) | शून्य |
| पूंजीगत लाभ | | |
| खाली जगह की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ | 1,25,000 | |
| घटाएँ: आभूषणों की बिक्री पर अल्पकालिक पूंजीगत हानि | (65,000) | |
| | 60,000 | |
| घटाएँ: गृह संपत्ति से होने वाले नुकसान को LTCG की सीमा तक समायोजित किया जाएगा | (60,000) | शून्य |
| अन्य स्रोतों से आय | | |
| PPF जमा पर ब्याज | 75,000 | |
| घटाएँ: छूट | 75,000 | शून्य |
| सकल कुल आय | | 4,55,000 |
| घटाएँ: अध्याय VI-A के अंतर्गत कटौती | | |
| धारा 80 C के तहत कटौती | | |
| 31.3.2026 को टैक्स सेवर डिपॉजिट में निवेश | 60,000 | 60,000 |
| कुल आय | | 3,95,000 |

घाटे को निर्धारण वर्ष 2027-28 तक आगे ले जाया जाएगा

| विवरण | ₹ |
|--|--------|
| सट्टा व्यवसाय X से हानि (₹ 85,000 - ₹ 45,000) सट्टा व्यवसाय से होने वाली हानि का समायोजन केवल किसी अन्य सट्टा व्यवसाय के लाभ के विरुद्ध किया जा सकता है। यदि हानि का समायोजन इस प्रकार नहीं किया जा सकता है, तो उसे अगले वर्ष में सट्टा व्यवसाय से होने वाली आय, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजन हेतु आगे ले जाना होगा। | 40,000 |

12. श्री जाजी की निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए कुल आय की गणना

| विवरण | ₹ | ₹ | ₹ |
|--|--------------|-------------------|-----------|
| व्यापार और पेशे से लाभ और प्राप्ति | | | |
| चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे से आय | | | 10,00,000 |
| पूंजीगत लाभ | | | |
| STT भुगतान वाले शेयरों से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ | | 10,00,000 | |
| दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (उपर्युक्त के अलावा) | | <u>4,00,000</u> | |
| | | 14,00,000 | |
| घटाएँ: धारा 74 के अनुसार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के विरुद्ध अल्पकालिक पूंजीगत हानि का समायोजन | | (6,00,000) | |
| घटाएँ: धारा 74 के अनुसार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के विरुद्ध धारा 111A के तहत अल्पकालिक पूंजीगत हानि का समायोजन | | <u>(8,00,000)</u> | शून्य |
| अन्य स्रोतों से आय | | | |
| नाबालिग बेटे बीजू की आय | | | |
| धारा 64(1 A) के अनुसार श्री जाजी के हाथों में शामिल कंपनी जमा से आय | 1,50,000 | | |
| घटाएँ: धारा 10(32) के तहत नाबालिग बच्चे की आय के सम्मान में छूट | <u>1,500</u> | 1,48,500 | |
| नाबालिग बेटी चित्रा की आय | | | |
| - नाबालिग बेटी चित्रा (पेशेवर नर्तकी) की ₹ 20,00,000 की आय माता-पिता के हाथों में शामिल नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसी आय उसके विशेष कौशल के कारण अर्जित की गई है। | शून्य | | |

| | | | |
|---|--------------|--------|------------------|
| - उसकी विशेष प्रतिभा के कारण अर्जित राशि से SBI में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज धारा 64(1A) के अनुसार शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ब्याज आय जमा राशि से उत्पन्न होती है न कि उसके विशेष कौशल के कारण। | 20,000 | | |
| घटाएँ: धारा 10(32) के तहत नाबालिग बच्चे की आय के सम्मान में छूट | <u>1,500</u> | 18,500 | |
| अन्य आय: - श्री जाजी के मित्रों से प्राप्त ₹ 45,000 का उपहार धारा 56(2)(x) के अंतर्गत कर योग्य नहीं है, क्योंकि गैर-रिश्तेदारों से प्राप्त कुल राशि ₹ 50,000 से अधिक नहीं है। | | | <u>शून्य</u> |
| कुल आय | | | 11,67,000 |

घाटे को निर्धारण वर्ष 2027-28 तक आगे ले जाया जाएगा

| विवरण | ₹ |
|---|----------|
| धारा 111A के तहत अल्पकालिक पूंजीगत हानि | 2,00,000 |

नोट – धारा 111A के अंतर्गत अल्पकालिक पूंजीगत हानि को पहले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ से समायोजित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, कर निर्धारण वर्ष 2027-28 तक आगे ले जाए जाने वाले नुकसान निम्नानुसार होंगे –

| विवरण | ₹ |
|---|----------|
| अल्पकालिक पूंजीगत हानि (धारा 111A के अलावा) | 2,00,000 |